प्रेषक,

जिला सेवायोजन अधिकारी,
चम्पावत।

सेवा में,

जिला सेवायोजन अधिकारी,
उधमसिंह नगर।

पत्रांकः 423 /विभा.वेब./2024–25 दिनांकः 07 मार्च 2025

विषयः विभागीय वेबसाइट को 'S3Waas' प्लेटफार्म पर तैयार किए जाने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि आपके कार्यालय पत्रांक विभा.वेब./2024–25/259–60 दिनांक 6.3.2025 के अनुपालन में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, चम्पावत की चाही गयी सूचना निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

जिला सेवायोजन अधिकारी,
शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र
चम्पावत।

संख्याः 1461/VIII/05–सेवा0/2006

प्रेषक,

टी0आर0 भट्ट,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग

देहरादून : दिनांक 20 सितम्बर, 2006

विषयः रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत में शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना तथा संचालनार्थ पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत में शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना करते हुये इसके लिए प्रस्तावित चार व्यवसाय कमशः कम्प्यूटर, अनुदेशक सचिविय पद्धति, भाषा एवं आशुलिपिक हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 14 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनदेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद की भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो से दिनांक 28.02.2007 तक के लिए बशर्ते की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	सहायक सेवायोजन अधिकारी	02	6500–10500
2.	अनुदेशक कम्प्यूटर	02	4500–7000
3.	अनुदेशक सचिविय पद्धति	02	4500–7000
4.	अनुदेशक भाषा	02	4500–7000
5.	अनुदेशक अशुलिपि	02	4500–7000
6.	कनिष्ठ सहायक	02	3050–4590
7.	अनुसेवक	02	2550–3200
.	योग	14	

2– उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ–साथ शासन द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होगें।

Scanned with OKEN Scanner

3– उक्त शिक्षण मार्ग दर्शन केन्द्रो के अनावर्तक व्ययों एवं अधिष्ठान के खर्चे हे, निम्नलिखित विवरणानुसार रूपये 8,98,000/– (रूपये आठ लाख अठ्ठानब्बे हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

धनराशि हजार रूपये में

क्र0सं0	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
1.	01–वेतन	01
2.	03–महँगाई भत्ता	01
3.	04–यात्रा भत्ता	20
4.	06–अन्य भत्ते	50
5.	08–कार्यालय व्यय	180
6.	09–विद्युत देय	20
7.	10–जलकर/जल प्रभार	04
8.	11–लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	100
9.	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100
10	17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	20
11.	26–मशीनें, साज–सज्जा एवं उपकरण	150
12.	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	01
13.	42–अन्य व्यय	50
14.	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर कय	150
15.	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी स्टेशनरी	50
16.	48–मंहगाई वेतन	01
	योग :–	898

4– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृति की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या आदेशों का उल्लघंन होता हो। जहां व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहां ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य ओदर्शो का अनुपालन कढ़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5– व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएसएण्ड डी, की दरों अथवा शर्तो, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों आदि का कय प्रत्येक ट्रेड के एन0सी0वी0टी0 के मानक के अनुसार ही कय किया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2007 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

7- उक्त स्थापित किये जा रहे शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र में 50 प्रतिशत सीटों पर अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रवेश दिया जाय।

8- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु अनुदान संख्या-30 मुख्य लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार, 02-रोजगार सेवायें-आयोजनागत-00, 800-अन्य व्यय, 02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, 0202-शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश के अशासकीय संख्या यू0ओ0-575/वित्त अनुभाग-5/2006 दिनांक 20-सितम्बर, 2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(टी0आर0 भट्ट)
अपर सचिव।

पृष्ठाकंन संख्या : 1461(1)/VIII/05-सेवा0/2006 तद्दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2- आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊ।
3- जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग/चम्पावत।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग/चम्पावत।
5- अपर सचिव, वित्त-बजट, उत्तरांचल शासन।
6- उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त सूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर वाछित प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7- वित्त अनुभाग-5
8- नियोजन अनुभाग।
9- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
10- निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री जी।
11- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
12- गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

new. L.I

Scanned with OKEN Scanner

पदों की स्थिति (स्वीकृत/भरे/ रिक्त)

कार्यालय का नाम –शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र चम्पावत।

क0 स0	अधिकारी/ कर्मचारियों का पद नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1	सहायक सेवायोजन अधिकारी	01	–	01	–
2	भाषा अनुदेशक	01	–	01	उपनल द्वारा नियुक्त
3	अनुदेशक सचिवीय पद्धति	01	–	01	–
4	अनुदेशक आशुलिपि	01	–	01	–
5	अनुदेशक कम्पयुटर	01	–	01	उपनल द्वारा नियुक्त
05	वरिष्ठ सहायक	01	01	–	नियमित
06	अनुसेवक	01	–	01	उपनल द्वारा नियुक्त
योग –		**07**	**01**	**06**	

जिला सेवायोजन अधिकारी,
चम्पावत।

(3) वर्तमान में संचालित प्रशिक्षण – शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, चम्पावत में टंकण प्रशिक्षण

वर्तमान में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र, चम्पावत में छः माह का टंकण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किया जा रहा है। टंकण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, तर्कशक्ति, कम्प्यूटर बेसिक, फण्डामेंटल, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एम.एस.वर्ड, एम.एस.एक्सल, पावर प्वाइंट, इंटरनेट, हिन्दी/अंग्रेजी टाइपिंग प्रक्टिस, प्रक्टिकल एवं थ्योरी के साथ–साथ उक्त समस्त कार्यों की पुनरावृत्ति एवं परीक्षा सम्पन्न कराई जाती है।

आशुलिपि व्यवसाय में अनुदेशक का पद रिक्त होने के कारण प्रशिक्षण संचालित नहीं है।

(4) विगत पांच वर्षों के प्रवेशित एवं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूचना निम्नवत् है–

वर्ष	प्रथम सत्र (जनवरी से जून)		द्वितीय सत्र (जुलाई से दिसम्बर)	
	प्रवेश	उत्तीर्ण	प्रवेश	उत्तीर्ण
2020	8	8	10	10
2021	8	Covid-19	13	2
2022	20	10	22	10
2023	17	8	11	9
2024	17	17	29	25
2025	24	प्रशिक्षणरत		

(5) विगत पांच वर्षों में सत्रवार प्रशिक्षण की स्थिति–

क्र0 सं0	प्रशिक्षण सत्र	प्रवेशित अभ्यर्थी वर्गवार		उत्तीर्ण अभ्यर्थी वर्गवार	
		महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
1	प्रथम सत्र (जनवरी 2020 से जून 2020 तक)	2	6	2	6
	द्वितीय सत्र (जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक)	6	4	6	4
2	प्रथम सत्र (जनवरी 2021 से जून 2021 तक)	–	8	Covid-19	
	द्वितीय सत्र (जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 तक)	–	13	–	2
3	प्रथम सत्र (जनवरी 2022 से जून 2022 तक)	10	10	6	4
	द्वितीय सत्र (जुलाई 2022 से दिसम्बर 2022 तक)	9	13	4	6
4	प्रथम सत्र (जनवरी 2023 से जून 2023 तक)	7	10	5	3
	द्वितीय सत्र (जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 तक)	6	5	5	4
5	प्रथम सत्र (जनवरी 2024 से जून 2024 तक)	9	8	9	8
	द्वितीय सत्र (जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 तक)	17	12	15	10
6	प्रथम सत्र (जनवरी 2025 से जून 2025 तक)	10	14	24 प्रशिक्षणरत	

(6) सेवायोजित अभ्यर्थियों का विवरण– शून्य

(8) केन्द्र को आधुनिक एवं अपग्रेड किये जाने हेतु सुझाव– केन्द्र में पुस्तकों की खरीदारी नये पाठ्यक्रम के अनुसार 3 या 6 महिने में किया जाय। प्रशिक्षार्थियों को प्रोत्साहन हेतु समय–समय पर अध्ययन सामग्री वितरित की जाय। समसामयिक घटनाक्रम की जानकारी हेतु 2 अथवा 3 मासिक पत्रिकाओं पर निवेश किया जाय। शिक्षण केन्द्र के लिए प्रशिक्षार्थियों के हित में प्रतिवर्ष 2 अथवा 3 कम्प्यूटरों की खरीदारी एवं पुराने कम्प्यूटरों को समय–समय पर मरम्मत कराया जाय तथा उचित रखरखाव पर ध्यान दिया जाय। स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था की जाय।

भवदीय,

जिला सेवायोजन अधिकारी,
शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र
चम्पावत।